Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA.

Supply Revision Case No - 03/2025

Sultan Yadav.....Appellant

Versus

The State of Bihar &Ors.....Respondents.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	22.04.2025	**आदेश** यह आपूर्ति पुनरीक्षण वाद समाहर्त्ता, अररिया द्वारा पी0डी0एस0 अपील वाद संख्या-24/2018-19 में दिनांक-30.07.2019 को पारित आदेश के विरूद्ध तथा माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा रिट याचिका संख्या-14616/22 में पारित आदेश (05.12.2024) के आलोक में दायर किया गया है। वाद अंगीकृत कर सुनवाई की गयी। समाहर्त्ता, अररिया की ओर से जवाब दाखिल है। LCR प्राप्त है। दिनांक-15.04.2025 को उभय पक्ष के Final Argument को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। Petitioner का अभिकथन वाद पत्र में अंकित है। विपक्षी का जवाब Reply/Rejoinder में अंकित है। उभय पक्ष के Final बहस को सुनने तथा अभिलेख में रक्षित कागजातों-वाद पत्र, Reply/Rejoinder आदि तथा LCR के अवलोकन से यह स्थिति दृष्टिगत है कि Petitioner (PDS डीलर, पचायत-जागीर परासी, प्रखंड-कुर्साकाँटा, अररिया) के विरूद्ध कुर्साकाँटा (सोनामनी गोदाम) थाना कांड संख्या-185/17 दिनांक-24.07.2017 धारा-07 आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 दायर हुआ। आरोप का मुख्य बिन्दु Petitioner (PDS डीलर) द्वारा PDS अनाज का कालाबाजारी कर बाजार में बिक्री करने का था। अधिहरण वाद संख्या-7/2017-18 में समाहर्त्ता, अररिया के आदेश दिनांक-28.08.2018 द्वारा जप्त किये गये अनाज को सरकारी अनाज के कालाबाजारी का मामला पाते हुए Confiscate करने का आदेश दिया गया तथा संबंधित PDS डीलर के विरूद्ध कार्रवाई का निदेश दिया गया। तदोपरांत अनुमंडल पदाधिकारी, अररिया -सह- अनुज्ञापन पदाधिकारी द्वारा Petitioner (PDS डीलर) से कारण पृच्छा की माँग की गई तथा कारण पृच्छा के समीक्षोपरांत अपने आदेश दिनांक-12.10.2018 द्वारा Petitioner (PDS डीलर) के PDS अनुज्ञप्ति संख्या-26K/2016 को रद्द किया गया। Petitioner (PDS डीलर) की ओर से समाहर्त्ता, अररिया के समक्ष अपील वाद संख्या-24/18-19 दायर किया गया। तथा समाहर्त्ता, अररिया द्वारा विषय वस्तु की आवश्यक विवेचना करते हुए यथोचित Findings के आधार पर अपील वाद को अस्वीकृत किया गया। अभिलेख में रक्षित कागजाता के अवलोकन से यह	

Web copy Not official.

		प्रमाणित हो रहा है कि आरोप का मुख्य बिन्दु Petitioner (PDS डीलर) द्वारा	
	22.04.2025	सार्वजनिक रूप से अनाज का कालाबाजारी करते हुए ग्रामीणों द्वारा पकड़े जाने का है। जिसक आलोक में कुर्साकांटा थाना कांड संख्या-185/17 दिनांक-24.07.2017 दर्ज किया गया। यह Record पर है कि जप्त किया गया 9.06 क्विंटल गेंहूँ सरकारी बोरे (FCI) में पकड़ा गया था। अनुमंडल पदाधिकारी, अररिया -सह- अनुज्ञापन पदाधिकारी के स्तर से Petitioner के कारणपृच्छा के समीक्षोपरान्त उपरोक्त प्राथमिकी संख्या-185/17, अधिहरण वाद संख्या -7/2017-18 में समाहर्त्ता, अररिया के आदेश दिनांक-28.08.2018 तथा दिनांक-24.07.2017 को स्थानीय लाभुकों के लिखित बयान (जिसमें निर्धारित मात्रा से कम तथा निर्धारित मुल्य से अधिक पर खाद्यान का वितरण का बयान अंकित है) के आधार पर Petitioner के अनुज्ञप्ति को रद्द किया गया है। Petitioner (PDS डीलर) की ओर से उपरोक्त आरोप को Negate करने हेतु कोई Admissible साक्ष्य उपस्थापित नहीं किया जा सका है। आरोप एवं उपस्थापित साक्ष्य के आधार पर यह प्रमाणित हो रहा है कि Petitioner (PDS डीलर) द्वारा अनुज्ञप्ति के शर्तों तथा PDS संचालन के सरकारी आदेशों का उल्लंघन किया गया है। निम्न न्यायालय (समाहर्त्ता, अररिया) के स्तर से उभय पक्ष के अभिकथन के संदर्भ में संगत तथ्यों की विवेचना करते हुए यथोचित Findings के आधार पर आदेश पारित किया गया है। समाहर्त्ता, अररिया का आदेश (30.07.2019) विधिसम्मत है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप अथवा संशोधन की आवश्यकता नहीं है। अतः इस Revision Case को खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति निम्न न्यायालय को भेजें। आयुक्त, लेखापित एवं शुद्धित। पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया। आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।	

Web copy. Not official.

Web copy. Not official.